

जाति प्रमाण-पत्र



मैं पूर्ण जानकारी के साथ प्रस्तुत करता हूँ कि—

[१] श्री/श्रीमति/कुमारी रामसिंह ठाकुर
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री अमोलसिंह ठाकुर
 का स्थाई निवास ग्राम करारवेडी पोस्ट मिर्जापुर जिला विदिशा

[२] श्री/श्रीमति/कुमारी रामसिंह ठाकुर
 जाति ठाकुर की है और उसकी उपजाति दांगी

उसका घम हिन्दू है जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित पिछड़े वर्ग की सूची में सम्मिलित है।

Handwritten signatures and notes in Hindi, including names like 'म/म/म/म' and 'तहसीलदार'.

हस्ताक्षर [Signature]

अध्यक्ष [Signature]

जनपद पंचायत विदिशा (म. प्र.)
 हस्ताक्षर [Signature]

नोट—यह प्रमाण पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है तथा छात्रवृत्ति मुख्यतः इस प्रमाण पत्र के आधार पर दी जाती है अतः प्रमाण पत्र देने वाले अधिकारी को यह सलाह दी जाती है कि वह यथोचित सावधानी बरतते हुए, यह प्रमाण पत्र जारी करें। कृपया नाम व पद की मुहर अवश्य लगायें।

जाति सम्बंधी प्रमाण-पत्र देने के लिये निम्नांकित प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा अधिकारी सक्षम होंगे।

१. संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य
२. जिला कलेक्टर
३. परियोजना अधिकारी एकीकृत आदिवासीय विकास परियोजनाएं
४. उप संचालक आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास - पिछड़ा वर्ग कल्याण
५. जिला संयोजक अधिकारी आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण
६. विकास खण्ड अधिकारी क्षेत्र संयोजक आदिम जाति कल्याण विकास पिछड़ा वर्ग कल्याण
७. दण्डाधिकारी (मजिस्ट्रेट)
८. तहसीलदार / नायब तहसीलदार
९. म्युनिसिपल कोसिलर
१०. जनपद अध्यक्ष ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत के सरपंच
११. मण्डल संयोजक आदिम जाति कल्याण हरिजन विकास वर्ग कल्याण